

4/3/25

पत्रावली आज पेन्स हुई। पार्थीगण व उनके  
वकील अनुपस्थित। मूल वाद का विस्तारण ले  
चुका है। मूल वाद का विस्तारण होने से पार्थीगण  
पत्र अलग से चलाया जाना सम्भव नहीं है।  
मूल वाद के साथ-साथ पार्थीगण पत्र इती स्तर पर  
खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभारंभ  
होकर साविके स्तर ही एवम् नम्बर से कम है।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन